राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना–पत्र – 11/2015

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

सुखी (संजू) बनाम रामचरण (गफूर खां)

दिनांक 05.01.2024

:–निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल प्रकरण 11/2015 उनवान सुखी बनाम रामचरण अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचाराधीन चल रहा था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2019 को निर्णय पारित किया गया था। तत्समय अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली को न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधीकारी, अजमेर में अपील होने के कारण तलब हुई। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर से इस आशय से पत्रावली प्रतिप्रेषित की गयी कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाकर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति आती है तो आपत्तियों का निस्तारण करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था। इस हेतु उभयपक्षों को सूचना हेतु नोटिस भी जारी किये गये। उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम थल के ख0न0 101 व 102 में से रास्ता निकटतम व सरलतम है जिसकी तहसीलदार रूपनगढ़ से रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है, जिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 16.01.2019 को निर्णय भी पारित किया जा चुका है। अतः उक्त निर्णय को यथावत् रखा जावे। वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि निर्णय में दर्शाया गया रास्ता निकटतम नहीं होने से प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। चूंकि राजस्व रिकार्ड (नक्शा) अनुसार ग्राम थल के ख0न0 101 व 102 में से रास्ता दिया जाने वाला रास्ता निकटतम, सरलतम है, इस कारण तहसीलदार रूपनगढ़ से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने की आवश्यकता नहीं होने से पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2019 को यथावत् रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 16.01.2019 को पारित निर्णय यथावत् रखा जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 15:46:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

05/01/24

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)